बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (नालन्दा) 02–04/2026–.......................... (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–6431 दिनांक–23.12.2025 द्वारा **श्रीमती कुमारी आँचल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चण्डी, नालन्दा** के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें राज्य सूचना आयुक्त, बिहार पटना द्वारा वाद सं0–A2789/2021 श्री सत्येन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, चण्डी, नालन्दा में दिनांक–14.09.2023 को पारित आदेश में 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है। सुश्री कुमारी आँचल द्वारा राज्य सूचना आयुक्त, बिहार पटना द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड की राशि उचित शीर्ष में जमा कर चालान की प्रति आयोग को समर्पित करने का निदेश दिया। परन्तु उनके द्वारा अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–590(15), दिनांक–21.04.2026 द्वारा श्रीमती आँचल से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती आँचल द्वारा अंचल अधिकारी, छपरा सदर के कार्यालय पत्रांक–1186 दिनांक–05.05.2026 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के अनुपालन में देरी (सितंबर 2023 के आदेश का अनुपालन अक्टूबर 2024 में होना) आरोपी पदाधिकारी की प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है।

वाद सं0–A2789/2021 श्री सत्येन्द्र सिंह बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, चंडी, नालन्दा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–14.09.2023 में पारित आदेश के आलोक में कुमारी आँचल से ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परंतु उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध 25000/–(पचीस हजार) रूपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया, साथ ही उक्त वाद में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–04. 04.2024 को पारित आदेश में अधिरोपित दण्ड की राशि कोषांगार में जमा नहीं करने के लिए कुमारी आँचल के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु समाहर्त्ता, नालन्दा को निदेशित किया गया।

राज्य सूचना आयोग के आदेश एवं समाहर्त्ता के पत्रांक–1179, दिनांक–08.12.2023 के द्वारा दिये गये आदेश के बावजूद कुमारी आँचल, तत्कालीन अंचलाधिकारी, चण्डी सम्प्रति अंचलाधिकारी, छपरा सदर के द्वारा अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं कराया जाना घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–04.04.2024 को पारित आदेश में अधिरोपित दण्ड की राशि कोषांगार में जमा नहीं करने के लिए कुमारी आँचल के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु समाहर्त्ता, नालन्दा को निदेशित किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा काफी विलंब से दिनांक–05.10.2024 को अधिरोपित दण्ड की राशि चालान के माध्यम से जमा किया गया।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बावजूद अधिरोपित दण्ड की राशि आरोपी पदाधिकारी द्वारा काफी विलंब से जमा कर देने मात्र से ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने का आरोप समाप्त नहीं हो जाता है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना, स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया जाना एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश के बावजूद अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि को काफी विलंब से जमा कराया जाना पदीय उत्तरदायित्व/कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता एवं उदासीनता तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा चूक की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप श्रीमती आँचल को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "निन्दन" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती कुमारी आँचल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चण्डी, नालन्दा **सम्प्रति अंचल अधिकारी, सदर छपरा, सारण** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(I) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2024)** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–04/2026–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नालन्दा एवं सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा एवं सारण/ श्रीमती कुमारी आँचल, अंचल अधिकारी, सदर छपरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–04/2026–.......900.......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....19.06.26.

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/ मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती आँचल** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

19/6/26

(इनायत खान),
सरकार के विशेष सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\kumari Aanchal (CO_chandi_Nalanda)_Nindan.doc